

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्र. रीडर/2025/8054

दिनांक - 01/09/2025

प्रार्थीगण  
1 मोहमद पुत्र उस्मान  
वगैराह जातियान मुसलमान  
निवासी गुडीसर तहसील व  
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण  
1 हाजी खां पुत्र रमजान वगैराह  
जाति मुसलमान निवासी लूणू कला  
तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-212/2025

दिनांक- 04/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा झाडवा हल्का चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 150/30 रकबा 4.5568 हैक्टयर, खसरा संख्या 149/30 रकबा 4.5729 हैक्टयर व खसरा संख्या 148/30 रकबा 4.5729 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/8055-8058

दिनांक- 01/09/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण मोहमद पुत्र उस्मान वगैराह जातियान मुसलमान निवासी गुडीसर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण हाजी खां पुत्र रमजान वगैराह जाति मुसलमान निवासी लूणू कला तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी, सी

